भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधायी विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5728
जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 अप्रैल, 2025 को दिया जाना है

राजनीतिक वित्तपोषण में पारदर्शिता

5728. श्रीमती रूपकुमारी चौधरी :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चुनावी बॉण्ड पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के पश्चात् विचार किए जा रहे वैकल्पिक तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का दानदाताओं की पहचान और धनराशि सहित राजनीतिक चंदे का पूरा प्रकटीकरण करने का अधिदेश है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या सरकार की राजनीतिक वित्तपोषण की निगरानी के लिए एक स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण का गठन करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या मंत्रालय ने नए राजनीतिक वित्तपोषण संबंधी सुधारों के बारे में हितधारकों से परामर्श किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) सरकार का राजनीतिक चंदे में विदेशी प्रभाव को किस प्रकार रोकने का विचार है और एक नई पारदर्शी राजनीतिक वित्तपोषण प्रणाली को लागू करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है ; और

(च) क्या नये सुधारों से सभी राजनीतिक दलों के लिए समान अवसर सुनिश्चित होंगे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार);
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (च) : आर्थिक कार्य विभाग ने यह सूचित किया है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

****